

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर माण्डल

8/5  
23

पत्रावली मंहगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग  
अभियान 2023 ग्राम पंचायत भादू में पेश हुई, विपक्षीय  
के संमन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिलेशाह पर  
किये गये। विपक्षीय अनुपस्थित, मारपी का पार्थक्य पर  
स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर  
शाह पर किया गया। पत्रावली फिल्टर शुभार होकर  
जम्बर से कम हो।

हुक्मीचन्द्र रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 56/23 प्राण्य

1- श्री सत्यनारायण शं. रामा बलाई निवासी-धुवाला तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री रौहण शं. बालु बलाई निवासी-धुवाला तहसील-माण्डल (वै.क.)  
(प्रमाणित प्राण्य रालेग)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 08-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....धुवाला.....पटवार हल्का.....धुवाला.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1853, 1854, 1986, 2036 कुल किता.....04.....रकबा.....0-6197.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-03-23.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....धुवाला.....पटवार हल्का.....धुवाला.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1853, 1854, 1986/3, 2036/3 कुल किता.....04.....रकबा.....0-6197.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल को.....700/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023